प्रतिलिपि आदेश दिनांक :–18/05/2026

न्यायालयः– दशम अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)
जमानत आवेदन कमांक :–1486/2026

समर्थ सिंह पिता स्व. श्री आर.के सिंह
आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी–एच.आई.जी. 311,
कटारा एक्सटेंशन, बागमुगालिया, भोपाल (म.प्र.)।

—आवेदक/आरोपी।

बनाम

आरक्षी केन्द्र–कटारा हिल्स, भोपाल द्वारा
मध्यप्रदेश शासन

—— अनावेदक/राज्य।

18.05.2026 आवेदक/**आरोपी समर्थ सिंह** की ओर से अधिवक्ता **श्री इनोश जार्ज कारलो** उपस्थित।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक **श्री राजेश सिंह** उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र कटारा हिल्स, भोपाल से अपराध कमांक 133/2026 अंतर्गत धारा 80(2), 85, 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 3 एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की केस डायरी प्राप्त।

आवेदक/**आरोपी समर्थ सिंह** की ओर से **अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–482 भा.ना.सु.सं. 2023,** पेश किया गया है। आवेदन के समर्थन में आवेदक की ओर से स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ सिंह पिता स्व. श्री आर.के. सिंह, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी–एच.आई.जी. 311, बागमुगालिया एक्सटेंशन, भोपाल (म.प्र.) हाल मुकाम – डायरेक्टिंग स्टॉफ, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, कोयंबटूर रेडफील्ड, कोयंबटूर–तमिलनाडु, पिन–641018 का शपथपत्र पेश किया है, जिसमें उन्होंने आवेदक को अपना सगा भाई बताया है। आवेदन में वर्णित तथ्यों के संबधं में प्रस्तुत शपथपत्र पर खण्डन के अभाव में शंका या अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। फलतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र **प्रथम** होने का तथ्य सत्य मान्य किया जाता है।

आवेदक/आरोपी समर्थ सिंह की ओर से प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से निवेदन किया गया है कि दिनांक 12 मई 2026 को आवेदक समर्थ सिंह की पत्नी श्रीमती ट्विशा शर्मा ने रात्रि 10:00 बजे के आसपास अपने आवास की छत के सरिये से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। श्रीमती ट्विशा शर्मा से समर्थ सिंह का विवाह मेट्रोमोनियल वेबसाइट के माध्यम से तय होकर दिनांक 09.12.2025 को दिल्ली में संपन्न हुआ था। मृतका विवाह के पूर्व फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल थी और उन्होंने तेलगू और अन्य भाषाओं की फिल्मों में हीरोइन के रूप में काम किया था तथा विज्ञापनों में भी श्रीमती ट्विशा शर्मा ने काम किया था। विवाह के समय ट्विशा शर्मा दिल्ली की प्रायवेट कंपनी में वर्कफार्म होम काम कर रही थी।

ससुराल मे ट्विशा शर्मा के दैनंदिन के व्यवहार और आचरण से आवेदक और उसकी मां को संदेह हुआ कि वह ड्रग्स का मारिजुआना (गांजा) लेती है। ट्विशा शर्मा दिनांक 09.12.2025 से दिनांक 12.05.2026 के बीच पांच बार सुसराल से मायके और अन्य जगहों पर गयी थी। हाथों में कंपन और कुछ समय तक ड्रग्स न ले पाने के कारण उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और स्वभाव मे अचानक परिवर्तन विथड्रावल सिम्टम्स नजर आते थे। ट्विशा शर्मा के पिता से आवेदक ने चर्चा की तो ज्ञात हुआ कि वह ड्रग्स लेती है। दिनांक 17 अप्रैल 2026 को पहली बार ट्विशा शर्मा को अपने गर्भवती होने की जानकारी हुई। उसी दिन ट्विशा शर्मा अपने पति के साथ हजेला अस्पताल गयी।

आवेदक/आरोपी समर्थ सिंह द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से यह भी निवेदन किया है कि गर्भधारण करने की जानकारी होने पर ट्विशा शर्मा का व्यवहार आवेदक और उनकी मां के लिए काफी अधिक परेशान करने वाला रहा। हजेला अस्पताल से आने के बाद ट्विशा शर्मा ने अपना सामान बैग में भरा और बोली कि वह अपने घर नोएडा जाना चाहती हैं अब घरेलू महिला का नाटक और नहीं हो पायेगा। ट्विशा शर्मा की बात सुनकर आवेदक और उसकी मां सनन रह गये। श्रीमती ट्विशा शर्मा का कहना था कि वह ग्लेमर की दुनिया में रही है, अब यह घर गृहस्थी का नाटक और नहीं कर पाएगी, नोएडा जाउंगी। दिनांक 17.04.2026 को श्रीमती ट्विशा शर्मा आवेदक के घर से निकल जाने के पश्चात् ट्विशा शर्मा 18 अप्रैल 2026 को हवाई जहाज से दिल्ली पहुंची। नोएडा द्वार पहुंचने में इतना समय लगने का सही कारण ट्विशा शर्मा ने नहीं बताया। 24 अप्रैल 2026 को आवेदक ने अपनी पत्नी के साथ बैंगलुर जाने का कार्यक्रम बनाया । दिनांक 23/04/2026 को ट्विशा शर्मा, उनकी मां तथा भाई के साथ ट्विशा शर्मा का स्वभाव, अचानक बदलने वाले मूड, चिड़चिड़ेपन और ड्रक्स लेने के संबंध में चर्चा की। आवेदक को जानकारी हुई कि ट्विशा शर्मा को दिल्ली/नोयडा में उन्हें ड्रग्स प्राप्त हो जाता था, इसलिए बार-बार दिल्ली नोएडा जाने का यह भी एक कारण था।

आवेदक/आरोपी समर्थ सिंह द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से यह भी निवेदन किया है कि दिनांक 30.04.2026 को ट्विशा शर्मा वापस भोपाल आयी और आवेदक से कहा कि उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले चलो, गर्भधारण करने के पश्चात् भारी मात्रा में ड्रग्स लिया है। डॉक्टर निधि शर्मा से ट्विशा शर्मा ने गर्भपात की दवाई देने का निवेदन किया। डॉक्टर की समझाईश और श्रीमती ट्विशा शर्मा से सहमति प्राप्त करने के बाद डॉक्टर ने एम.टी.पी. की गोलियां दी। दिनांक 07/05/2026 को आवेदक की मां श्रीमती ट्विशा शर्मा को हर हेल्थ क्लीनिक लेकर गयी। चिकित्सक ने एमटीपी की प्रकिया को रिवर्स कर पाना संभव न होना बोलते हुए मारिजुआना (गांजा) का नशा करने के कारण ट्विशा शर्मा से कहा कि गर्भ को अब त्यागना ही उचित होगा। हर हेल्थ क्लिनिक के चिकित्सक ने ट्विशा शर्मा को इनहाउस काउंसलर श्रीमती कोकोली राय के पास काउंसलिंग के लिए जाने को कहा। दिनांक 12.05.2026 को आवेदक और ट्विशा शर्मा काउंसलिंग के लिए काकोली राय के पास गए। दिनांक 12.05.2026 ट्विशा शर्मा ससुराल के पास स्थित ब्यूटी पार्लर, अमलतास कॉलोनी, कटारा हिल्स भोपाल गयी और 3 घंटे वहां उन्होंने ब्यूटी टीटमेंट लिया। दिनांक 12.05.2026 को शाम 06:00 बजे पार्लर से वापस आने बाद ट्विशा शर्मा और आवेदक अपने घ

ार के पास ही स्थित एक पार्क में भ्रमण करने के लिए गए थे। फिर दोनों शाम 07:30 बजे वापस आ गये। खाना खाने के बाद 20–25 मिनट घर के बाहर सडक पर टहलने के बाद वे वापस घर आ गये। लगभग एक घंटा टीवी देखने के बाद ट्विशा शर्मा नीचे के कमरे में चली गयी और अपने माता–पिता से बात करने लगी। रात लगभग 10:15 बजे ट्विशा शर्मा की मां का फोन आया और उन्होंने कहा कि ट्विशा शर्मा रो रही है जरा देखो क्या बात है। आवेदक की मां ने ट्विशा शर्मा को फोन किया तो फोन नहीं उठा तो आवेदक की मां ट्विशा शर्मा को देखने के लिए नीचे कमरे में गई तो वहां पर ट्विशा नहीं थी, तब आवेदक की मां ने आवेदक को काल किया, आवेदक ने कहा कि ट्विशा यहां नहीं है, शायद फोन करने के लिए छत पर गयी होगी। तो आवेदक की मां छत पर गयी। तब उन्होंने देखा कि ट्विशा छत की लोहे की राड पर एक्सरसाईज करने की इलास्टिक से लटका हुआ देखा तब तक आवेदक भी वहां पर आ गया था। आवेदक की मां ने ट्विशा शर्मा के गले के फंदे को ढीला करने का प्रयास किया। ट्विशा शर्मा को पंलग पर लिटाने के बाद पडोस में रहने वाली अपनी बहन के पुत्र को बुलाया और ट्विशा शर्मा को सीपीआर देने का प्रयास किया इसके बाद ट्विशा शर्मा को अस्पताल लेकर गये।

आवेदक/आरोपी समर्थ सिंह द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से यह भी निवेदन किया है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है। दोंनों परिवारों के मध्य कभी भी संबंध तनावपूर्ण नहीं रहे हैं। दिनांक 12.05.2026 के मध्य ट्विशा शर्मा के खाते में लगभग सात लाख रूपये अंतरित किये गये हैं। ट्विशा शर्मा के भाई हर्षित की पत्नी के बैंक खाते में गिफ्ट के रूप में पचास हजार रूपये अंतरित किये हैं। यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। जमानत उपरांत उनके भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है। वह अपनी उचित प्रतिभूति प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

आवेदक/आरोपी समर्थ सिंह की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में लेख्य प्रमाण सूची दस्तावेज हजेला अस्पताल का चिकित्सीय पर्चा की छायाप्रति, बंसल अस्पताल की दिनांक 30.04.2026 की ओपीडी रिपोर्ट की छायाप्रति, बंसल अस्पताल की प्रग्नेंसी स्केन रिपोर्ट दिनांक 30.04.2026 की छायाप्रति, डॉक्टर सत्यकांत द्विवेदी का दिनांक 30.04.2026 का प्रिस्क्रेप्शन, दिनांक 07.05.2026 के हरहेल्थ की केस शीट की छायाप्रति, दिनांक 12.05.2026 की हरहेल्थ की केस शीट की छायाप्रति, भोपाल से अजमेर तक की ट्रेन टिकट की छायाप्रति और उसी टिकट के केन्सेलेशन की छायाप्रति, समर्थ सिंह के द्वारा ट्विश शर्मा को यूपीआई पेमेंट की स्क्रीनशॉट की छायाप्रति, ई–मेल से आरोपी के द्वारा दिनांक 15.05.2026 को की गई शिकायत की छायाप्रति तथा सहआरोपी श्रीमती गिरिबाला सिंह की कॉल डिटेल्स पेश की है।

आपत्तिकर्ता/फरियादी सहित अधिवक्ता श्री अंकुर पांडे द्वारा आवेदन पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि ट्विशा शर्मा और समर्थ का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 09.12.2025 को नोयडा में संपन्न हुआ था, जिसमें विवाह का सारा खर्च मृतका के माता–पिता के द्वारा वहन किया गया था। आरोपी के द्वारा दहेज की

मांग किये जाने पर 2,00,000/–रूपये (दो लाख रूपये मात्र) दिये गये थे। दहेज की मांग को लेकर मृतका की सास मृतका को परेशान करने लगी। मृतका पर गर्भपात करने के लिए परेशान किया जाने लगा। यह भी निवेदन किया है कि सह–आरोपी तथा आरोपी के द्वारा यह कहकर परेशान किया जाता था कि ''पता नहीं किसका बच्चा है'' अतः विवाह को बचाने के लिए मृतका ने गर्भपात करा दिया। सहआरोपी मृतका की सास मृतका को लगातार परेशान करती थी और कई मौकों पर उसके चरित्र पर सवाल उठाती थी। इसी बात को लेकर मृतका को जबरन गर्भपात कराया गया। मृतका के पति के द्वारा भी कई बार शारीरिक रूप से प्रताडित किया गया था। गर्भपात की घटना के कारण मृतका के सभी परिवार के सदस्य दिनांक 22.04.2026 को आवेदक के घर आये थे, तो आवेदक ने आश्वासन दिया था कि भविष्य में मृतका पर कोई कूरता नहीं करेंगे। दिनांक 12.05.2026 को रात लगभग 09:41 बजे मृतका ने अपने परिवार के सदस्यों को कई बार फोन किया और जब फोन पर बात कर रही थी तभी आरोपी ने उससे संपर्क किया और उसके बाद फोन पर कट गया। रात लगभग 10:35 बजे उससे कोई संपर्क नहीं हो सका। आरोपी ने मृतका के परिवार को फोन से सूचित किया कि ''अब वह इस दुनिया में नहीं है।'' सहआरोपी माता एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो वर्तमान में जिला उपभोक्ता न्यायाल, भोपाल की अध्यक्ष हैं और मध्यप्रदेश के भोपाल में जिला न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि पूरी जांच बाधित हो सकती है।

आपत्तिकर्ता/फरियादी द्वारा यह भी निवेदन किया है कि न्याय के लिए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाना आवश्यक है, इसलिए आरोपी की जमानत निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। आवेदन में ही आपत्तिकर्ता द्वारा शबीन अहमद विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य तथा अन्य, 2025 लाइव लॉ (एस.सी.) 278 का उल्लेख किया है एवं जमानत को निरस्त किये जाने के आधारों पर समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय–निर्णयों का उल्लेख किया है, जो कि अभिलेख पर संलग्न है। अतः यह निवेदन किया है कि विधि के समक्ष सभी समान है, भले ही उस व्यक्ति की पोस्ट, पोजिशन कुछ भी रही हो। मृतिका 33 साल की महिला थी एवं अत्यधिक मेरिटोरियस स्टूडेंट थी और ऐसे व्यक्तित्व का उसके ससुराल पक्ष में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में पाया जाना अत्यधिक गंभीर है, अतः अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि सह–आरोपी हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, जिसके भागने की पूर्ण संभावना है। घटना से 3 दिन की अवधि पहले ही गुजर चुकी है, परन्तु आरोपी को गिरफतार नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में आरोपी के न्यायिक निरोध की आवश्यकता है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

आपत्तिकर्ता/फरियादी की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में मृतका तथा मृतका की मां की वाट्सअप चैट की छायाप्रति, बंसल अस्पताल के दस्तावेज, डॉक्टर के द्वारा ट्विशा शर्मा को किये गये ई–मेल की छायाप्रति तथा मृतका के द्वारा तेलगू फिल्म में कार्य करने की फोटो पेश की है।

एक अन्य आपत्तिकर्ता डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, जिनके द्वारा स्वयं को भारतीय नागरिक मतदाता, अधिवक्ता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जन–समस्या समाधान समिति, मध्यप्रदेश का होना बताया गया है और आपत्तिकर्ता एवं न्यायमित्र के रूप में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत आवेदन के संबंध में आपत्ति रिकार्ड पर लिये जाने एवं आरोपी की जमानत न्यायहित में निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। उक्त आपत्ति की प्रति अभियोजन को दी गई।

डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता के द्वारा न्यायदृष्टांत एआईआर 1982 सुप्रीम कोर्ट 149 की प्रति पेश की है।

सभी उभयपक्षों को सुना गया।

न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से ए.जी.पी. श्री राजेश सिंह उपस्थित।

आरोपी समर्थ सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री पराग श्रीवास्तव उपस्थित।

अभियोजन सहायक के रूप में फरियादी पक्ष की ओर से आपत्तिकर्ता के रूप में अधिवक्ता श्री अनुराग श्रीवास्तव के साथ अन्य अधिवक्तगण उपस्थित हैं।

सर्वप्रथम जो न्यायालय के समक्ष आज नवीन आपत्तिकर्ता, जिन्होंने स्वयं के रूप में न्यायमित्र के रूप में संबोधित किया गया है, के न्यायालय में सुने जाने के संबंध में अर्थात् लोकस स्टेंडाइ (locus standi) के बारे में विचार किया जा रहा है।

डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता के द्वारा स्वयं को इस आधार पर आरोपी के जमानत आवेदन पर आपत्ति पेश करना बताया है कि वे एक समाज सेवी संस्था के सदस्य के रूप में कार्यरत् हैं। समाज के विरूद्ध कोई भी अपराध होने पर उन्हें आपत्ति पेश करने का अधिकार है, इसलिए उनके द्वारा आपत्ति पेश की गई है।

यह अवलोकनीय है कि आपराधिक विधि के अंतर्गत किसी तीसरे पक्ष को मुकदमा दायर करने या किसी मुकदमे में हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार अमान्य है। आपराधिक कानून व्यक्तिगत संपत्ति या विवाद नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है। इसलिए अभियोजन का मुख्य कार्य राज्य और सरकारी वकील (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) के द्वारा किया जाता है। न्यायालय के समक्ष भी शासन का प्रतिनिधित्तव करने के लिए सहायक लोक अभियोजक के रूप में श्री राजेश सिंह उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त सहायक के रूप में आपत्तिकर्ता की ओर से स्वयं पीड़िता पक्ष द्वारा नियुक्त अधिवक्तागण भी उपस्थित हैं। इस कारण से उपरोक्त विधिक स्थिति को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत पर तीसरे पक्ष के रूप में किसी भारतीय नागरिक, मतदाता, अधिवक्ता या जन–समस्या समाधान समिति, मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुने जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

उक्त तीसरा पक्ष मात्र कुछ विशेष मामलों में जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), या अन्य कोई रिट याचिका दायर कर सकता है और यही तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत में भी प्रतिपादित किया है।

अतः उपरोक्त कारण से नवीन आपत्तिकर्ता डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता की ओर से किया गया निवेदन अस्वीकार किया जाता है एवं इसी कारण उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति संधारणीय नहीं है। अतः उनके द्वारा आपत्ति पर विचार नहीं किया जा रहा है।

अनावेदक/राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध करते हुये आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

केसडायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट है कि **आरोपी समर्थ सिंह** के विरूद्ध धारा 80(2), 85, 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 3 एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

आरोपी के जमानत आवेदन पर आपत्तिकर्ता की ओर से आरोपी समर्थ सिंह के द्वारा दहेज की मांग किये जाने, उसे ताने देने, उसे प्रताड़ित करने, उसके चरित्र पर लांचन लगाने के कारण उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में आपत्ति पेश की गई है।

अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है कि अरोपी का विवाह मृतका के साथ दिनांक 09.12.2025 को दिल्ली में हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार होने का तथ्य सभी साक्षीगण अपने कथनों में बताया है और मृतका की मृत्यु दिनांक 12.05.2026 को रात्रि 10:20 बजे अर्थात् विवाह के लगभग 6 माह के भीतर असामान्य परिस्थितियो में हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, साक्षीगण मिनाक्षी शर्मा, नवनिधि शर्मा एवं हर्षित शर्मा के पुलिस कथन अभिलेख पर संलग्न है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से एवं अभियोजन की ओर से ही प्रस्तुत वाट्सअप चैट के अवलोकन से, ऐसा प्रकट हो रहा है कि मुख्य रूप से जो अभिकथन हैं, वे आरोपी समर्थ सिंह के संबंध में किये गये हैं।

आरोपी के द्वारा अपराध किया गया है अथवा नहीं यह तथ्य साक्ष्य की विवेचना के उपरांत ही निराकृत किया जा सकेगा। परन्तु इस स्तर पर अपराध की प्रकृति को देखते हुए, विवाह के उपरांत मृतका की मृत्यु की समयावधि को देखते हुए, विवेचना अपूर्ण रहने के तथ्य को देखते हुए, आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।

अतः **आरोपी समर्थ सिंह** पिता स्व. श्री आर.के सिंह की ओर से प्रस्तुत **प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. निरस्त** किया जाता है।

केस डायरी संबंधित आरक्षक को वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज किया जाकर अभिलेख, अभिलेखागार में नियत अवधि में जमा हो।

सही/–
(पल्लवी द्विवेदी)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

प्रतिलिपि–

थाना प्रभारी, थाना कटारा हिल्स भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पल्लवी द्विवेदी)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

T.C.
18.5.26.

(पल्लवी द्विवेदी)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म. प्र.)